राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या – 20/2017.. जिला ....हनुमानगढ़...............................

उनवान : मैसर्स गणपति जिनर्स एण्ड राईस मिल्स, हनुमानगढ़

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/01/2018	**खण्डपीठ** **श्री के. एल. जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह विविध प्रार्थना–पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 741/2017 में दिनांक 19.05.2017 को पारित किये गये स्थगन आदेश के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 3,08,88,525/– में से रूपये 2,86,52,541/– का स्थगन इस शर्त पर दिया गया था कि व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष शेष राशि राजकोष में जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अपीलार्थी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र के जरिये निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा रूपये 15,00,000/– वैट के रूप में राजकोष में जमा कराये गये हैं, जिनका समायोजन अवशेष राशि के पेटे दिये जाने का निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिया जावे। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने इस प्रार्थना–पत्र पर बल नहीं देते हुए तद्नुसार निस्तारित किये जाने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना–पत्र को 'नोट–प्रेस' के आधार पर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **सदस्य** / **राजस्थान कर बोर्ड** / **अजमेर** — **सदस्य** / **राजस्थान कर बोर्ड** / **अजमेर**	